

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

नम्बर 2
अतिरिक्त
हुकम की तारीख
में जारी हुई

तारीख हुकम हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
मु. नं. - 47/2023 आर्डा का स्थानांतरण
उपनाम - आर. के. कुमार कौर वनाम शालूबाय कौर

12-1-24

आख फौजदारी अधिकारी महादय का कार्य में वयस्त/अवकाश पर होने से नया आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 19-1-24 को भेजा है।

19-1-24

आख फौजदारी अधिकारी महादय का कार्य में वयस्त/अवकाश पर होने से नया आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 23-1-24 को भेजा है।

23-1-24 आधिकारिता प्राचीन उपस्थित। पूर्ण आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 30-1-24 को भेजा है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दौसा

30-1-24

पत्रावली पे भेजा हुआ आधिकारिता प्राचीन उपस्थित। आधिकारिता प्राचीन द्वारा कथन किया गया कि प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी - मायाका उपखण्ड अधिकारी सिरका श्री रामेश कुमार मीना का स्थानांतरण हो चुका है। इसी स्थिति में प्राचीन पत्र स्थानांतरण का आगे चलाये जाने का अनुरोध नहीं है।

पत्रावली का आवलोकन किया एवं आधिकारिता प्राचीन के कथन पर मनन किया गया। प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री रामेश कुमार मीना का स्थानांतरण हो जाने से प्राचीन पत्र स्थानांतरण इसी स्तर पर जारी रखे जाने घोषित है।



नारायण
अतिरिक्त जिला कलक्टर
दौसा

अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सिकरगढ़ में विचाराधीन प्रकरण इनकी
अशोक कुमार आदि बनाम शालूराम आदि
का उद्घोषणा क्रमस्ती नम्बर १८३/२०१५
में प्रकीर्ण पत्र स्पष्ट निषेधाज्ञा का
अन्य सहाय न्यायालय में स्थानांतरण करने
के प्रकीर्ण पत्र अशोक कुमार पुत्र सुवाल
एवं मन्दिशोर पुत्र सुवाल आदि के
निवासी गीजगढ़ तहसील सिकरगढ़ द्वारा
इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रकीर्ण पत्र
स्थानांतरण खारिज किया जाता है। निर्देश
की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी सिकरगढ़ को भिजवाई जावे।
प्रकीर्ण पत्र अशोक कुमार की फाइल नम्बर १८३/२०१५
में है एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट लेख भंडार
की जांच निवेदन काज दिनांक ३०-१-२०१५
का मंरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया
गया।

(Handwritten signature in red ink)

नरेश बुनकर-
अति. जिला कलक्टर
दौसा (राज.)

